शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्या–1394 /एक–10–2021–33(08)/2021

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊ दिनांक: 26 जुलाई, 2021

विषय : वर्ष 2021–22 में कोविड़–19 की रोकथाम, बचाव व उपचार में लगाये गये कार्मिकों की कोविड संक्रमण से मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को रू0 50.00 लाख की एकमुश्त अनुग्रह धनराशि दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया राजस्व अनुभाग–11 के शासनादेश सं0–411/एक–11–2021–4(जी)/2015 टी0सी0 दिनांक 22 जून 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 में कोविड–19 की रोकथाम, बचाव व उपचार में लगाये गये कार्मिकों की कोविड संक्रमण से मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को रू0 50.00 लाख की एकमुश्त अनुग्रह धनराशि दिये जाने के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं।

2– जनपदों द्वारा आनलाईन अपलोड किये गये प्रस्तावों की समीक्षा में यह पाया गया है कि https://rahat.up.nic.in पर जिलाधिकारियों द्वारा अपलोड किये गये प्रस्ताव अपूर्ण हैं तथा शासनादेश दिनांक 22 जून 2021 के साथ प्रेषित प्रारूपों पर सूचना यथा अधिकांश कार्मिक का ड्यूटी आदेश, जिलाधिकारी की संस्तुति आदि अभिलेख अपलोड नहीं किये गये हैं, सभी अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व से जूम मीटिंग ए63वं कन्ट्रोल रूम के माध्यम से सभी वांछित आभिलेख अपलोड करने हेतु कई बार निर्देश दिये गये हैं।

3– उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेश दिनांक 22.06.2021 के क्रम में निम्नलिखित अभिलेख राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट https://rahat.up.nic.in पर **दिनांक 07.08.2021 तक** अपलोड कराना सुनिश्चित करें:–

1. सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत मृत्यु पंजीकरण प्रमाण पत्र।
2. मृतक कार्मिक की आर0टी0पी0सी0आर0/एंटीजन/सी0टी0 स्कैन की पठनीय प्रति।
3. कोविड ड्यूटी आदेश की पठनीय प्रति।
4. जिलाधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष का कोविड ड्यूटी प्रमाण पत्र (शासनादेश दि0 22.06.2021 में निर्धारित प्रारूप–1 पर)।

5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत कोविड मृत्यु प्रमाण पत्र (शासनादेश दि0 22.06.2021 में निर्धारित प्रारूप–2 पर)।

6. अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व का उपरोक्त सभी अभिलेखों के सत्यापनोपरान्त अभिलेख सत्यापन प्रमाण पत्र (संलग्न प्रारूप–3 पर)।

7. जिलाधिकारी का संस्तुति पत्र।

अपर जिलाधिकारी, कमांक 01 से 05 तक के सभी प्रमाण पत्रों/अभिलेखों की सत्यता को प्रमाणित करके ही वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। सभी वांछित अभिलेखों पर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर, सील/मोहर तथा निर्गत करने वाले कार्यालय का पत्रांक भी स्पष्ट अंकित होना चाहिए। सम्बन्धित अपर जिलाधिकारी सभी अभिलेखों की सत्यता की जांच स्वयं करने के उपरान्त ही वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

<u>**संलग्नक– यथोक्त।**</u>

भवदीय,

16.7.21

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– /एक–10–2021–33(08)/2021, तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निदेशक, एन0आई0सी0 को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त सात अभिलेख https://rahat.up.nic.in वेबसाइट पर अपलोड करने की व्यवस्था कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(राम केवल)
विशेष सचिव।

प्रारूप–3

अभिलेख सत्यापन प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि स्व0 श्री ...., पदनाम ...., विभाग.. जनपद .... की मृत्यु कोविड 19 से हुई थी, जिनके आश्रितों द्वारा प्रस्तुत किये गये सभी प्रमाण पत्रों एवं अभिलेखों का सत्यापन जारी करने वाले संबंधित विभाग/अधिकारी से कर लिया गया है, जो सही है।

उपरोक्त सभी अभिलेखों को सत्यापित करते हुए राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट https://rahat.up.nic.in पर दिनांक .... को अपलोड कर दिया गया है। मेरी जानकारी में कोई अभिलेख/प्रमाण–पत्र असत्य नहीं है एवं न ही कोई सूचना/जानकारी छिपायी गयी है।

हस्ताक्षर–

अपर जिलाधिकारी का नाम

जनपद–

सील/मोहर–

दिनांक–